पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 3 ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणार्थ व बंटवारा का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता रामकिशन एवं प्रतिवादी सं0के पिता/पति औंकार ने मुमताजनबी पुत्र मोलाबक्स जाति पीरजादा से जरिये बिचौती पत्र दिनांक 12-7-67 को भूमि ख0नं0 152 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा पुख्ता वादीगण के पिता रामकिशन व ख0नं0 159 की आराजी प्रतिवादी के पति/पिता औंकार ने खरीदी । जिसका इन्तकाल सं0 109 दिनांक 11-8-67 को तस्दीक किया गया । ख0नं0 152/2 रकबा 3 बिस्वा पुख्ता सडक की भूमि है । राम किशन के वादीगण के अलावा रणधीर नाम का पुत्र भी था जो शादी शुदा नहीं था जो नाऔलाद खत्म हो गया । इस प्रकार रामकिशन की भूमि पर वादीगण काबिज काश्ज चले आ रहे हैं । तथा औंकार के फौत होने पर औंकार की आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज काश्तकार चले आ रहे है। किन्तु विवादित आराजी का राजस्व रेकार्ड शामलाती ही चला आ रहा है । वादीगण ने बटवारे के लिये जमाबन्दी की नकल ली तब गलत

Web Copy Not Official

राजस्व रेकार्ड की जानकारी हुई जिस पर यह दावा पेश कर वादीगण को ख गत खसरा नं0 152 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा पुख्ता नये ख0नं0 1473 रकबा 2.47 हैक्टर के खातेदार काश्तकार एवं इसी प्रकार प्रतिवादी सं0-1 से 3 को गत ख0नं0 159 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा जिसके नवीन ख0नं0 585 रकबा 1.54 हैक्टर हैक्टर, ख0नं0 1475 रकबा 0.21 हैक्टर, ख0नं0 1476 रकबा 0.12 हैक्टर के खातेदार काश्तकार घोषित कर बंटवारा किया जावे। अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादीगण का दावा स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।

दौराने अपील पक्षकारों ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाकरा की आराजी ख0नं0 1473 रकबा 2.47 हैक्टर व ख0नं0 585 रकबा 1.54 हैक्टर, ख0नं0 1475 रकबा 0.21 हैक्टर, ख0नं0 1476 रकबा 0.12 हैक्टर स्थित है जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट का भी 1/2 हिस्सा है। उक्त आराजी के मध्य कस्बा झुन्झुनू राणासर जाने वाली सडक इन खेतों के मध्य से गुजरती है। सडक की चौडाई बढ जाने से उक्त ख0नं0 1473 रकबा 2.47 हैक्टर में से सडक चौडाई निकल जाने से इस खसरा नं0 में से 0.30 हैक्टर भूमि सडक में चली गई जिससे ख0नं0 1473 का रकबा कम होकर 2.17 हैक्टर ही बचा। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा हो गया। जिसमें सडक के पश्चिमी साईड में पुरा खेत अपीलान्ट का रहेगा जिसमें रेस्पोडेन्टस् सडक के पश्चिम साईड में कोई हक हिस्सा कभी भी नहीं रखेंगे तथा सडक के पूर्व में अपीलान्टस् कभी भी कोई

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	दोनो पार्टीयों में सहमति हुई तथा भविष्य में भी एक दूसरे के हक हिस्सा पर कोई दखल अन्दाजी नहीं करेंगे । इस प्रकार उक्त जमीन ख0नं0 1473 में सडक का 0.30 हैक्टर रकबा कम करके रेस्पोडेन्ट के नाम 2.17 हैक्टर रखा जावे तथा 2.17 हैक्टर का खातेदार रेस्पोडेन्ट को घोषित किया जावे तथा अपीलान्टस् के नाम से खसरा नं0 585 रकबा 1.54 हैक्टर, ख0नं0 1475 रकबा 0.21 हैक्टर, ख0नं0 1476 रकबा 0.12 हैक्टर कुल रकबा 1.87 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । तथा ख0नं0 1473 में से पश्चिम साईड की ओर की 0.30 हैक्टर को गैर मुमकीन सडक घोषित किया जावे ।	
	बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सं0-2040 से 2043 में ख0नं0 152/1 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा ख0नं0 152/2 रकबा अबिस्वा, ख0नं0 159 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा कुल किता-3 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 के नाम एवं अपीलांट सं0- 1 से 3 के पति/पिता औंकार के नाम दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त में ख0नं0 152 व 159 कुल किता-2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी मुमताज व.द मौलाबक्स के नाम दर्ज है प्रदर्श-2 नामान्तरकरण सं0-167 विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया जिसमें रामकिशन पुत्र कालू 9 बीघा 15 बिस्वा तथा औंकार पुत्र बुजाराम 7 बीघा 8 बिस्वा के नाम तस्दीक किया गया है । प्रदर्श-1 विक्रय पत्र एवं मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया । विवादित आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पूर्वज रामकिशन एवं औंकार के नाम दर्ज रही है जो राजस्व रेकार्ड से साबित है । उक्त	

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए पक्षकारों में राजीनामा होने पर प्रकरण का निस्तारण हो रहा है जिससे न्यायालय मुताबिक राजीनामा ही अपील को स्वीकार किया जाना उचित मानता है । अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-2-2008 खारिज किया जाकर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाता है । मुताबिक राजीरामा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे । निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 5.12.17 को सुनाया गया । (हस्ताक्षर) 5.12.17 (भवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	

डिक्री वर्सिंग अपील
(आर्डर 41 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।

इजलास - श्री भंवरलाल मेहरड़ा आर0ए0एस0

1-म0 हरकोरी स्त्री 2- शिशपाल पुत्र 3- सहीराम पुत्र- स्व0 ओंकार जाति जाट नि0 बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनूं अ- --अपीलान्टस--

--बनाम--

1- शिशपाल पुत्र रामकिशन जाति जाट नि0 बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
2- हरिसिंह पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी बाकरा---मृतक---
2/1-सन्तोष पत्नी 2/2- सुरेन्द्र पुत्र-- स्व0 हरिसिंह जाति जाट निवासी बाकरा
3- ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन जाट नि0 बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
4- राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू {राज0} --रेस्पोडेन्टस--

अपील नम्बर 14 सन् 2016 बनाराजगी डिक्री अदालत - उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू ।

मुकाम - दिनांक 12 माह 02 सन् 2008

-दावा बाबत -

यह अपील व तारीख .... हब्स हमारे व हाजिर श्री ..बाबूलाल मील....

.... मिनजानिब अपीलान्टस् व हाजिर श्री सुभाष पूनिया......................

मिनजानिब रेस्पोडेन्टस् समाहत के लिये हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-2-2008 खारिज किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाता है । मुताबिक राजीनामा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।

....

....

खर्चा फरीकैन हस्व तकसीत वादाबी युबलिग ......xxx............... रुपये अदा करें।

खर्चा मुकदमा मातहत का ....xxx........... रुपया अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख .... को जारी की गई।

दस्तखत -

ओहदा - पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपीलार्थीगण	रुपये पैसे	गैर अपीलार्थीगण	रुपये पैसे
1- स्टाम्प अपील		1- स्टाम्प वकालतनामा	
2- स्टाम्प वकालतनामा		2- स्टाम्प अर्जी	
3- इजराय हुक्मनामा		3- इजराय हुक्मनामा	
4- तलबाना मुतफुरकात		4- मुतफुरकात	
5- मिजान		5- मिजान	